

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, शाहपुरा जिला शाहपुरा

शमेश्वर पिता भोरुलाल बनाम ममता पति दिनेश कुमार कुमावत

किसम मुकदमा पार्षता नं. 230 सन् 2023

GCMS No.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर य तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
9/10/23	<p>वद्वत्र/प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर वद्वत्र/प्रार्थना पत्र की नकलें प्रतिवादी/अप्राथी को जरिये सम्मन मार्फत तहसील वास्ते तामील व जवाब पेश किये जाने हेतु भेजी जावे। पत्रावली दिनांक 23-10-23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जिला शाहपुरा)</p>	
23 ¹⁰ / ₂₃	<p>पत्रावली पेश हुई विपक्षी का सम्मन बाद / कानून तामिल की लॉयटर्स द्वारा पत्रावली पत्र वास्तु पटकरगरी आवेदन लिखत हेतु अदालत जिला गया है। प. अ. क. का विचार पत्र को 23 नव 2023 को पेश है। पत्रावली अदालत अधिकारी को पत्रावली दिनांक 12-12-23 को पेश है।</p>	
12 ¹² / ₂₃	<p>पत्रावली पेश हुई विपक्षी का सम्मन तहसील शाहपुरा द्वारा तामिल होवाया है। अदालत को अदालत को पत्रावली पत्र वास्तु पटकरगरी अदालत पत्र लिखत हेतु अदालत पर निवेदन किया कि मैंने मामल को तहसील को पत्रावली पत्र को भेजे नाम पट है पटकरगरी करत हेतु आवेदन किया है कि उम्मीद पटकरगरी करत (कानून वास्तु है) अतः पटकरगरी आवेदन को लिखत करवाने का कलेश अदालत को पत्रावली पत्र अदालत को</p>	<p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज)</p>

